फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

डी. सी. बी. बैंक लि. **बनाम** कमलेश कुमार

केस संख्या 295/2024 (विविध प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14-08-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता की दलील है कि बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति एफ–1, प्रथम तल, अनुभव एन्क्लेव, प्लाट नम्बर एच–94 सिद्वार्थ नगर (एच) जयपुर का दिनांक 03.11.2023 को वास्तविक कब्जा प्राप्त किये जाने के पश्चात अप्रार्थीगण ने उक्त बन्धक सम्पत्ति पर लगाये गये तालें मय सील चपडी को तोड कर अप्रार्थीगण ने उक्त सम्पत्ति मे प्रवेश कर लिया है, जिसके विरूद्व प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा पुलिस थानाा एयरपोर्ट जयपुर में एफ आई आर संख्या 210/2023 दर्ज करादी गई है । अतः उक्त बन्धक सम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त करने हेतु आवश्क पुलिस इदमाद उपलब कराये जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 472/2022 दर्ज किया जाकर बन्धक सम्पत्ति का संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 19.09.2022 को पारित किये जा चुके है। जिसकी पालना में दिनांक 03.11.2023 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। इस न्यायालय के स्तर पर अब कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा यदि किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाकर रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	